



नेपाल राजपत्र

भाग ४

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २६ | काठमाडौं, साउन २० गते २०३३ साल | अतिरिक्ताङ्क १२ (ख)

श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारको सूचना

श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिशमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम क्षेत्रीय अदालतहरूमा देहायका व्यक्तिलाई देहायबमोजिम नियुक्त तथा सरुवा गरिबक्सेको छ ।

- | | |
|--|---|
| १. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश
श्री त्रिलोक प्रताप राणा | मुख्य न्यायाधीश, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत । |
| २. वाग्मती अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश
श्री हिरण्यश्वरमान प्रधान | अतिरिक्त न्यायाधीश, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत । |
| ३. वाग्मती अञ्चल अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश
श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | अतिरिक्त न्यायाधीश, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत । |
| ४. सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका
न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा | न्यायाधीश, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सरुवा । |

साथै, मौसूफबाट अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा क्षेत्रीय अदालतका स्थायी न्यायाधीशले पाए सरह पाउने गरी निजहरूका अवधि ३ (तीन) वर्षको निमित्त ।

हुकुम बक्से बमोजिम,
रञ्जनराज खनाल

श्री ५ महाराजाधिराजका सचिव

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छ, मात्र लागु हुनेछ ।



राज्य सरकार

४ मार्च

सिंहदरबार

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है

(अ) ११ ब्राह्मणों को | लाभ ६६०९ रु ०५ पचास, आठानाक | ११ रु ०५

प्रमाणित करने के लिए जारी किया गया है

कलकत्ता

१९५५

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

कलकत्ता में जारी किया गया है

५५८

५५५

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।